कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक - 820 /12-1-(2) अल्मोड़ा, दिनांक - 20/09/ 2023.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कॉलोनी
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- **जनपद पिथौरागढ़ में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1711/2015 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत अस्कोट–सैन्थल से मौचोरा (शहीद जमन सिंह) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.115 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (FP/UK/ROAD/540469/2020)**

सन्दर्भ :- भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्रांक 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 72 / 2021 / एफ0सी0 / 340 दिनांक 06.06.2022.

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में भारत सरकार, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ द्वारा अपने पत्रांक 1221 / 12–1 दिनांक 04.09.2023 के माध्यम से इस कार्यालय को प्रकरण प्रेषित किया है, जिसकी 03 प्रतियां मूल में संलग्न कर आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही हैं।

**संलग्नक :– उपरोक्तानुसार।**

भवदीय,

**(प्रसन्न कुमार पात्रो)**
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा

# कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,पिथौरागढ़ वन प्रभाग,पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com , Fax/☎ 05964-225234

पत्रांकः 1221 / 12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 04-09-2023।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– **जनपद पिथौरागढ़ में मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1711/2015 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत अस्कोट–सैन्थल से मौचोरा (शहीद जमन सिंह) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.115 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online No FP/UK/ROAD/540469 /2020)।**

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पंत्राक 8बी/यू0सी0पी0/ 06/72/ 2021/एफ0सी0/340 दिनांक 06.06.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में लगाई गई आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण निम्नलिखित है–

| क्र0 सं0 | लगाई गई आपत्तियां | आपत्तियो का निराकरण |
|---|---|---|
| 1 | इस कार्यालय के बिन्दु सं0 2 के अनुसार प्रस्ताव को लाभान्वित होने वाले गांवो पर ही समाप्त किया जाना चाहिये। राज्य सरकार द्वारा मार्ग को आगे बढ़ाये जाने का स्पष्टीकरण मान्य नही किया जा सकता है। अतः राज्य सरकार तदनुसार प्रस्ताव को संशोधित कर इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें। | प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग निर्माण हेतु शासनादेश 4.00 किमी0 लम्बाई मे स्वीकृत है। उक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा मोटर मार्ग की लम्बाई लाभान्वित आबादी तक संशोधित करते हुए प्रस्ताव गठन हेतु कहा गया है। जिसके क्रम मे अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण से ग्राम गदाली, बड़ीगांव व मौचोरा सीधे रूप से लाभान्वित हो रहे है, परन्तु मोटर मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 4.00 किमी0 ही होने के कारण बिजौरी तक मोटर मार्ग नही पहुँच पा रहा है। मोटर मार्ग 0.500 किमी की अतिरिक्त लम्बाई पर बिजौरी तक जुड़ जाता, परन्तु स्वीकृत लम्बाई के सापेक्ष ही समरेखण अनुमोदित कराये जाने के कारण मोटर मार्ग वन क्षेत्र में समाप्त हो रहा है। मोटर मार्ग की लम्बाई कम किये जाने की स्थिति में बिजौरी की मोटर मार्ग से दूरी अत्यधिक हो जाने के कारण मोटर मार्ग की लम्बाई कम किया जाना सम्भव नही है। इसको अतिरिक्त स्थानीय जनता द्वारा भी मोटर मार्ग स्वीकृत लम्बाई से कम लम्बाई में निर्मित किये जाने हेतु विरोध किया जा रहा है। जिसके क्रम में मोटर मार्ग के सशोधित प्रस्ताव गठित किये जाने सम्भव नही है। अतः स्वीकृत 4.00 किमी0 लम्बाई में ही मोटर मार्ग निर्माण किया जाना उचित होगा। |
| 2 | राज्य सरकार पातन किये जाने वाले वृक्षो की गणना 7 मी0 पर कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करे। | वृक्षों की गणना 7.00 मी0 चौड़ाई में कर ली गई है प्रपत्र अपलोड कर दिये गये है। |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | प्रस्ताव के अनुसार मलवा निस्तारण योजना में मलवा निस्तारण निजी भूमि पर भी किया जाना है। जिसकी जानकारी ऑनलाईन पार्ट–1 के पैरा बी 2.4 पर उपलब्ध नही है। इस हेतु राज्य सरकार निजी भूमि में मलवा निस्तारण की जानकारी ऑनलाईन पार्ट–1 के पैरा बी 2.4 में अपलोड़ करने का कष्ट करे। | मोटर मार्ग में कुल 3.115 हे0 वन भूमि तथा 0.09 हे0 नापभूमि प्रभावित हो रही हैं। पूर्व में त्रुटिवश नापभूमि की सूचना अंकित नही की जा सकी। उक्त के अतिरिक्त प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि डाटा लॉक होने के कारण सूचना केवल उच्च स्तर से संशोधित़ किया जाना सम्भव है।(लैण्ड शैड्यूल संलग्न) |
| 4 | भू–संदर्भित मानचित्र के अनुसार प्रस्तावित मार्ग बिन्दु सं0 A से होता हुआ बिन्दु सं0 E के आगे तक जा रहा है, जबकि वैकल्पिक मार्ग में बिन्दु सं0 A से बिन्दु सं0 E तक की दूरी प्रस्तावित मार्ग से कम प्रतीत हो रही है। जिससे वैकल्पिक मार्ग ज्यादा उचित प्रतीत हो रहा है। अतः राज्य सरकार वैकल्पिक मार्ग न चुनने का कारण स्पष्ट करें। | प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वैकल्पिक मार्ग में अधिक बैंड पड़ रहे हैं तथा वैकल्पिक समरेखण में प्रस्तावित समरेखण से अधिक वृक्ष भी प्रभावित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों द्वारा भी प्रस्तावित समरेखण पर ही सहमति जताई गई है। भूवैज्ञानिक की आख्या के अनुसार भी वैकल्पिक समरेखण में अधिकांश स्थलों पर ग्रेडिएन्ट 1:4,1:5 के होने के कारण तकनीकी दृष्टि से भी वैकल्पिक समरेखण उपयुक्त नहीं है। |

अतः उपरोक्तानुसार आवश्यक प्रपत्र 4 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

**भवदीय,**

**(जीवन मोहन दगाड़े)**
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।